

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन
ब्लॉक सं 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 15 सितम्बर, 2025

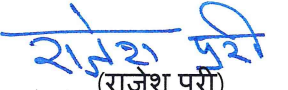
कार्यालय ज्ञापन

विषय: रक्षा सेवाओं से सीपीएसई में शामिल अधिकारियों के संबंध में वेतन नियतन।

अधोहस्ताक्षरी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 123/13/2019-एसईसीआई का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें सीपीएसई में तत्काल आमेलन आधार पर एक रक्षा कर्मी के शामिल होने संबंधी अभ्यावेदन को अंग्रेषित किया गया है। यह मुद्दा रक्षा सेवाओं सहित सरकारी सेवा से किसी व्यक्ति के स्थायी आमेलन के आधार पर किसी सीपीएसई में शामिल होने के मामले में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन दी गई 'परिलब्धियां' शब्द की परिभाषा की व्याख्या से संबंधित है। डीपीई के ध्यान में यह लाया गया है कि दिनांक 14.12.2012 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में 'परिलब्धियां' शब्द को मूल वेतन+ ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि 'ग्रेड वेतन' की अवधारणा अब प्रचलन में नहीं है, इसलिए यह परिभाषा अप्रचलित हो गई है।

2. इस मामले की जांच डीपीई में की गई है और यह नोट किया गया है कि दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन में 'परिलब्धियां' शब्द का प्रयोग विशेष रूप से रक्षा सेवाओं और असमान वेतनमानों के संदर्भ में, केवल वेतन संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। तदनुसार, रक्षा सेवाओं से सीपीएसई में शामिल होने वाले अधिकारियों के संबंध में, 'परिलब्धियां' की परिभाषा सीपीएसई में वेतन संरक्षण के प्रयोजनों के लिए रक्षा सेवाओं के अधिकारियों पर लागू वेतन कार्यान्वयन अधिसूचनाओं के अनुसार होगी। तथापि, शुरुआती वेतन नियतन के पश्चात् अन्य भत्तों का परिकलन मूल वेतन+महंगाई भत्ता (आईडीए वेतनमान) के आधार पर ही होगा।

3. यह आर्थिक सलाहकार, लोक उद्यम विभाग के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(राजेश पुरी)
उप निदेशक
दूरभाष: 24362673

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख कार्यकारी।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. एनआईसी, डीपीई को इस अनुरोध के साथ कि डीपीई की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड किया जाए।
4. अवर सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को दिनांक 14 मई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 123/13/2019/-एसईसीआई के संदर्भ में।